

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनात्तर्गत डाक व्यव की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.



## मध्यप्रदेश राजपत्र

### (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 124]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 3 फरवरी 2010—माघ 14, शक 1931

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2010

क्र. एफ-24-07-2007-एक-10.—जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 की सं. 60) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, जिला रीवा के जे. पी. सीमेंट फेक्ट्री परिसर में दिनांक 22 सितम्बर, 2007 को हुई गोलीबारी की घटना की न्यायिक जांच के लिये आयोग के गठन से संबंधित इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना की कंडिका-3 के अन्तिम वाक्यांश “इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर” के स्थान पर “दिनांक 30 जून 2010 तक” स्थापित किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. डी. साहू, अपर सचिव,

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2010

क्र. एफ-24-07-2007-एक-10—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-24-07-2007-एक-10, दिनांक 3 फरवरी 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. डी. साहू, अपर सचिव,

Bhopal, the 3rd February 2010

No. F-24-7-2007-I-10.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (No. 60 of 1952), the State Government hereby makes the following further amendment in this department's Notification of even number dated 31st October, 2007 regarding the constitution of Inquiry Commission in the incident of firing in the premises of J. P. Cement Factory, District Rewa on 22nd September, 2007, namely:—

**AMENDMENT**

In the said Notification, in last sentence of para 3 for the words "within three months of the date of publication of this Notification" the words "upto 30th June 2010" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. D. SAHU, Addl.Secy.